

हरियाणा राज्य और अन्य।

बनाम

मैसर्स एस फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

(सिविल अपील संख्या 5386/2002)

20 अगस्त 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे.जे.]

हरियाणा सामान्य बिक्री कर नियम, 1975: नियम 28(ए)(10)(v) और (11)(ए) - छूट या पात्रता प्रमाण पत्र रखने वाली औद्योगिक इकाई - कर छूट पात्रता का लाभ धारण करने के लिए: उप-नियम (11) (ए) के तहत लाभ उपलब्ध है यदि इकाई कम से कम अगले पांच वर्षों तक उत्पादन जारी रखती है, जो पिछले पांच वर्षों के औसत उत्पादन से कम नहीं है - अन्यथा वह इस अवधि के दौरान प्राप्त लाभ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। ब्याज सहित छूट की मानो कभी कोई कर छूट नहीं ली गई हो - हालाँकि, यदि वह उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त को संतुष्ट करने में सक्षम है कि उत्पादन में हानि उसके नियंत्रण से परे कारणों से हुई है, तो वह उत्तरदायी नहीं होगा - तथ्यों पर, गैर-नवीकरण इकाई को 1.7.97 से एक और वर्ष के लिए दिए गए छूट प्रमाण पत्र को डीईटीसी द्वारा रद्द करना क्योंकि जनवरी 1997 से कोई उत्पादन नहीं

हुआ था - इकाई को ब्याज के साथ प्राप्त छूट के संबंध में कर जमा करने का निर्देश दिया गया था - उच्च न्यायालय का आदेश था कि छूट प्रमाण पत्र को रद्द करना अवधि की समाप्ति पर नियम 28 (ए)(10)(v) लागू नहीं होता, इस प्रकार, मांग कायम रखने योग्य नहीं है, उचित नहीं है - उच्च न्यायालय ने नियम 11 के प्रभाव की जांच किए बिना रिट याचिका की अनुमति दी, किसी भी स्थिति में, इसने अधिकारियों को अनुमति दी पात्रता प्रमाणपत्र रद्द करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के पास गए, जो किया गया और रद्दीकरण के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई।

हरियाणा सामान्य बिक्री कर नियम, 1975 के नियम 28 ए के तहत कुछ औद्योगिक इकाइयों को कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन 13.12.1994 से 12.12.2003 तक बिक्री कर छूट का लाभ दिया गया था। प्रतिवादी - इकाई को बिक्री कर छूट का लाभ उठाने के लिए पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। इसके आधार पर, इकाई को 30.06.1995 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए छूट प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था जिसे 30.06.1996 तक और उसके बाद 30.06.1997 तक नवीनीकृत किया गया था। हालाँकि, आगे नवीनीकरण के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था। आवेदन पर कार्रवाई करते समय, उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त ने देखा कि इकाई जनवरी, 1997 से उत्पादन से बाहर थी, इस प्रकार, नियमों के नियम 28 ए के उप-नियम 9(1) के तहत छूट प्रमाण पत्र

भी रद्द किया जा सकता था। प्रतिवादी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वह न तो उपस्थित हुआ और न ही स्पष्टीकरण दिया। इसके बाद डीईटीसी ने छूट प्रमाणपत्र रद्द कर दिया। अपील में नवीनीकरण का आवेदन खारिज कर दिया गया और छूट प्रमाण पत्र भी रद्द कर दिया गया। प्रतिवादी को पहले से प्राप्त छूट के संबंध में ब्याज सहित कर जमा करने का निर्देश दिया गया था। व्यथित प्रतिवादी ने रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने माना कि 30.6.1997 को इसकी वैधता अवधि समाप्त होने के बाद छूट प्रमाणपत्र को रद्द करना नियम 28 (ए) (10) (वी) के प्रावधानों को लागू नहीं करता है; यह छूट प्रमाण पत्र को रद्द करने का मामला नहीं था क्योंकि यह अवधि समाप्त होने के बाद किया गया था, इस प्रकार, इसके द्वारा प्राप्त छूट के संबंध में राशि जमा करने का निर्देश उचित नहीं था।

इसलिए न्यायालय सी.ए. नंबर व 2005 का 676 को खारिज करना व सी.ए. नंबर 2002 का 5386 आर सी.ए. नंबर 2008 का 5149 की अनुमति की अपील करता है।

अभिनिर्धारित: 1.1 वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने सही कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जनवरी, 1997 के बाद कोई उत्पादन नहीं हुआ था, स्वचालित रद्दीकरण की गुंजाइश है। हरियाणा सामान्य बिक्री कर नियम, 1975 के नियम 28 (ए) का उप नियम (8)

पात्रता प्रमाण पत्र की वापसी से संबंधित है। उप-नियम 8(बी) के तहत जब पात्रता प्रमाण पत्र वापस ले लिया जाता है, तो छूट/पात्रता प्रमाण पत्र भी इसकी वैधता के पहले दिन से वापस ले लिया गया माना जाता है और इकाई अधिनियम के तहत कर, ब्याज या जुर्माने के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि उसे कभी कोई पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया गया हो। [पैरा 9] [385, बीडी]

1.2 नियम 11 (ए) को पढ़ने से पता चलता है कि नियम के तहत कर छूट/स्थगन का लाभ इस शर्त के अधीन होगा कि लाभार्थी/औद्योगिक इकाई सभी लाभ प्राप्त करने के बाद कम से कम अगले पांच वर्षों तक अपना उत्पादन जारी रखें, पिछले पांच वर्षों के औसत उत्पादन से कम नहीं। उप नियम के खंड (बी) से पता चलता है कि यदि इकाई खंड (ए) में निर्धारित किसी भी शर्त का उल्लंघन करती है तो वह छूट की अवधि के दौरान उसके द्वारा प्राप्त लाभ की पूरी राशि के अतिरिक्त भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। आस्थगन, अधिनियम के तहत प्रभार्य ब्याज का भुगतान जैसे कि इसके लिए कोई कर छूट/आस्थगन कभी उपलब्ध नहीं था। प्रावधान भी महत्वपूर्ण है। यह प्रदान करता है कि खंड (बी) के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि उत्पादन में हानि को इकाई के नियंत्रण से परे कारणों के कारण संबंधित डीईटीसी की संतुष्टि के लिए समझाया गया है। दूसरे शब्दों में, अगले पांच वर्षों तक उत्पादन जारी न रखने की स्थिति में,

परिणाम यह माना जाएगा कि इसके लिए कोई कर छूट/हकदार उपलब्ध नहीं था। प्रावधान डीलरों को डीईटीसी को संतोषजनक ढंग से समझाने की अनुमति देता है कि उत्पादन में हानि इकाई के नियंत्रण से परे कारणों से हुई थी। इस संबंध में पार्टी की ओर से सामग्रियां रखी जानी हैं। इस प्रकार, नियम 11 के खंड (बी) के संदर्भ में यदि खंड (ए) में निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो यह माना जाएगा कि छूट/पात्रता का कभी लाभ नहीं उठाया गया था। [पैरा 9 और 10] [385,डीजी; 386,एबी; 386,डी]

1.3 उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका लंबित है। जैसा कि वर्तमान मामले में, प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को नियम 11 के प्रभाव की जांच किए बिना अनुमति दी गई है, उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने नियम 11(बी) को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। किसी भी घटना में, पात्रता प्रमाणपत्र रद्द करने के लिए अधिकारियों को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष जाने की अनुमति उच्च न्यायालय ने दी। निर्विवाद रूप से ऐसा किया गया है, और रद्दीकरण के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है। इसलिए, उच्च न्यायालय का यह विचार उचित नहीं था कि मांग बरकरार नहीं रखी जा सकती। [पैरा 9 और 10] [386,सीडी; 386, बीसी 386, डीई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2002 की सिविल अपील संख्या 5386।

1998 की सिविल रिट याचिका संख्या 19870 में सीए नंबर के साथ चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 4.7.2000

सी.ए. 2008 की संख्या 5149 और 2005 की 676

अपीलकर्ताओं के लिए अनूप जी चौधरी, मंजीत सिंह, रूपांश पुरोहित, टीवी जॉर्ज, राजीव अग्निहोत्री और प्रवीण कुमार।

उत्तरदाताओं के लिए जेके सिब्बल, सुमेश धवन, श्रीति रंजन, पीएन पुरी, निखिल नैय्यर, दयान कृष्णन, गौतम नारायण, अंकित सिंघल, टीवीएस राघवेंद्र श्रेयस, सम्राट सिंह और अश्विनी कुमार।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

डाँ. अरिजीत पसायत, जे. 1. 2004 की एसएलपी (सी) संख्या 26523 में दी गई छुट्टी।

2. इन अपीलों में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि छूट प्रमाणपत्र को रद्द करने के बाद वैधता अवधि 30.6.1997 को समाप्त हो गई थी, जो हरियाणा सामान्य बिक्री कर नियम, 1975 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 28 (ए) के उप नियम 10 के खंड (वी) के प्रावधानों को लागू नहीं करती थी। उच्च न्यायालय के अनुसार, यह

स्पष्ट रूप से छूट प्रमाणपत्र रद्द करने का मामला नहीं था क्योंकि यह अवधि समाप्त होने के बाद किया गया था। मामले को देखते हुए यह माना गया कि उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त (संक्षेप में 'डीईटीसी') को प्रतिवादी को 30 जून, 1997 तक की अवधि के लिए प्राप्त छूट के संबंध में 40,45,324/- रुपये की राशि जमा करने का निर्देश देना उचित नहीं था। उच्च न्यायालय ने यह जांचना आवश्यक नहीं समझा कि क्या नियम 28 (ए) का उप नियम 10 (वी) जहां तक यह विभाग को कर छूट प्रमाणपत्र वापस लेने का अधिकार देता है, वैध था या नहीं। हालाँकि, यदि नियमों के नियम 28 ए के उप-नियम (8) के तहत पात्रता प्रमाण पत्र वापस लेने का मामला था, तो वर्तमान अपीलकर्ताओं को कानून के अनुसार आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी गई थी।

3. हरियाणा राज्य ने प्रत्येक मामले में प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय के आदेशों के संबंध में अपील दायर की है। पहला निर्णय मैसर्स एस फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में दिया गया था। उस मामले में निर्णय अन्य मामलों में निर्णय के लिए प्राथमिक आधार था।

4. 2002 की सिविल अपील संख्या 5386 में पृष्ठभूमि तथ्य अनिवार्य रूप से इस प्रकार हैं:

अध्याय IVA में आने वाले नियम 28A के तहत औद्योगिक

इकाइयों के कुछ वर्ग एक निर्दिष्ट अवधि के लिए कर के भुगतान से छूट/स्थगन के हकदार हैं और कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन हैं। बिक्री कर छूट का लाभ 13.12.1994 से 12.12.2003 तक की अवधि के लिए दिया गया था। प्रतिवादी को नौ साल की अवधि के लिए बिक्री कर छूट का लाभ उठाने का अधिकार देने वाला आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। पात्रता प्रमाणपत्र के आधार पर इकाई को 30 जून, 1995 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए छूट प्रमाणीकरण प्रदान किया गया था, इसे पहली बार 30.6.1996 तक और उसके बाद 30.6.1997 तक नवीनीकृत किया गया था। छूट प्रमाणपत्र के आगे नवीनीकरण के लिए एक आवेदन 31.7.1997 को दायर किया गया था। इसे आदेश दिनांक 15.12.1997 द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह कुछ मामलों में पूर्ण नहीं था और अवसर दिए जाने के बावजूद प्रतिवादी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा। नवीनीकरण के लिए आवेदन पर कार्रवाई करते समय, डीईटीसी ने देखा कि प्रतिवादी की इकाई बाहर थी। जनवरी, 1997 से उत्पादन और इस प्रकार छूट प्रमाणपत्र भी नियमों के नियम 28 ए के उप-नियम 9(i) के तहत रद्द किया जा सकता था। अतः स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की तिथि 15.12.1997 निर्धारित करते हुए 5.12.1997 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी न तो उपस्थित हुए और न ही कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। इसलिए, डीईटीसी ने दिनांक 14.1.1998 के आदेश द्वारा छूट प्रमाणपत्र रद्द कर

दिया। अपील में मामला निषेधाज्ञा उत्पाद एवं परिवहन आयुक्त, हरियाणा को भेज दिया गया। मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान, यह फिर से पाया गया कि औद्योगिक इकाई जनवरी, 1997 से गैर-कार्यात्मक थी और लगभग पूरे संयंत्र और मशीनरी को कारखाने के परिसर से हटा दिया गया था और विभाग को बिना किसी सूचना के हरियाणा से बाहर कुछ अन्य स्थानों पर ले जाया गया था। यहां तक कि फैक्ट्री शेड और अन्य संरचनाएं भी ध्वस्त पाई गईं और कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। आदेश दिनांक 30.6.1998 द्वारा फिर से नवीनीकरण के लिए एक आवेदन खारिज कर दिया गया और पहले से दिए गए छूट प्रमाण पत्र को नियम 28 (ए) के उप नियम 9 (आई) को लागू करके रद्द कर दिया गया। प्रतिवादी को पहले से प्राप्त छूट के संबंध में कर जमा करने और ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। रिट याचिका में वर्तमान प्रतिवादी का रुख यह था कि चूंकि इकाई कोयले की अनुपलब्धता के कारण बंद रही थी, जो उसके नियंत्रण से परे एक कारक था, इसलिए किसी भी गैर-नवीकरण का कोई सवाल ही नहीं था। यह तर्क दिया गया कि भले ही छूट प्रमाणपत्र को रद्द करना नियम 28 (ए) के उप-नियम 9 (आई) के तहत बरकरार रखा जाना था, लेकिन यह पूर्वव्यापी रूप से संचालित नहीं हो सकता है और प्रतिवादी को राशि जमा करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। यह राशि उस अवधि की है जब औद्योगिक इकाई उत्पादन में थी।

राज्य का रुख, जो इस अपील में अपीलकर्ता है, यह था कि चूंकि जनवरी, 1997 से कोई उत्पादन नहीं हुआ है, इसलिए छूट प्रमाणपत्र नियम 28 (ए) के उप नियम (i) के संदर्भ में रद्द किया जा सकता है। वहाँ था ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं दी गई जिसके तहत परिणाम का लाभ उठाया जा सके। यह बताया गया कि पात्रता प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद, डीलर को छूट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है तथा प्रमाणपत्र जो एक निश्चित तिथि तक वैध होता है। इसके बाद नियम 28 ए के उप-नियम (7) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार छूट प्रमाणपत्र को साल-दर-साल आधार पर नवीनीकृत करना आवश्यक है। उप नियम (9) का भी संदर्भ दिया गया जो उन परिस्थितियों का प्रावधान करता है जिनके तहत दिया गया छूट प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकता है। इसलिए यह तर्क दिया गया कि एक बार छूट प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाता है तो यह जरूरी है कि पहले से प्राप्त कर की छूट कानून के अधिकार के बिना होगी और वसूली योग्य होगी। इस संदर्भ में नियमों के उप नियम (10) के खंड (वी) का संदर्भ दिया गया था।

उच्च न्यायालय का विचार था कि नियमों के नियम 28 ए के उप-नियम (9) के तहत छूट प्रमाणपत्र को सही ढंग से रद्द किया गया है। हालाँकि, उसने राजस्व के इस रुख को स्वीकार नहीं किया कि परिणामी कार्रवाई का प्रावधान था। नियम 28 ए के उपनियम 10(वी) का संदर्भ दिया

गया। उप नियम (8) और (9) को तुलनात्मक रूप से पढ़ने पर यह माना गया कि यदि कोई इकाई अपना व्यवसाय बंद कर देती है या छह महीने की अवधि के लिए बंद कर देती है, तो दोनों प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। उपनियम (8) के तहत पात्रता प्रमाणपत्र वापस लिया जा सकता है जबकि उपनियम (9) के तहत छूट/पात्रता प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकता है। यह देखा गया कि उप-नियम 9(1)(i) में कोई अपवाद प्रदान नहीं किया गया है जो कि उपनियम 8(ए) के खंड (ii) में स्थिति है। तदनुसार यह माना गया कि छूट/पात्रता प्रमाणपत्र को रद्द करना केवल उस वर्ष से संबंधित हो सकता है जिसके संबंध में उक्त प्रमाणपत्र अभी भी समाप्त होना है और यह केवल उस वर्ष के लिए डीलर द्वारा प्राप्त कर छूट का लाभ है जो देय हो जाता है। एकमुश्त यह माना गया कि यदि छूट/ पात्रता प्रमाण पत्र की समाप्ति के बाद यह पाया जाता है कि इकाई ने अपना व्यवसाय बंद कर दिया है या इसे छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बंद कर दिया है, तो विभाग उपचार के बिना नहीं है। यह नियमों के नियम 28 (ए) के उप-नियम (8) में दिए गए अनुसार पात्रता प्रमाण पत्र को वापस लेने के लिए हमेशा कार्रवाई कर सकता है। उच्च न्यायालय ने माना कि एक बार पात्रता प्रमाण पत्र वापस ले लिया गया है, बिना किसी प्रक्रिया के नियमों के नियम 28 ए के नियम (8) के तहत निर्धारित, यह अनुमन्य नहीं है। हालाँकि, यह माना गया कि यदि अधिकारियों के पास नियमों के नियम 28 ए के उप-नियम (8) के तहत

पात्रता प्रमाण पत्र वापस लेने का मामला है, तो वे कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होंगे और उच्च न्यायालय के फैसले में ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया है। उस प्रावधान के तहत उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

5. अपीलकर्ता-राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह मानने के बाद कि रद्दीकरण सही था, उच्च न्यायालय का यह कहना सही नहीं था कि इसे केवल संबंधित अवधि के लिए वापस लिया जा सकता है। उप-नियम (11) का संदर्भ दिया गया है। इसमें प्रावधान है कि कर छूट/स्थगन का लाभ लेने के बाद अगले पांच वर्षों तक जारी रहेगा। उप-नियम 10(v) प्रमाणपत्र की मुद्रा से संबंधित है और उपनियम 11(1)(बी) प्रावधान करता है कि निर्धारित शर्तों में से डीईटीसी के पास उस राशि को जमा करने के लिए कहने का अधिकार है जिसके संबंध में छूट का लाभ उठाया गया है यदि कोई उल्लंघन होता है।

6. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने कहा कि एक बार जब प्रमाणपत्र अपनी वैधता खो चुका है और आवेदन अवधि समाप्त होने के बाद किया गया है, तो कोई रद्दीकरण नहीं हो सकता है और किसी भी नवीनीकरण का कोई सवाल ही नहीं है। यह भी बताया गया है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, संबंधित प्राधिकारी द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र वापस ले लिया गया है और पात्रता प्रमाण पत्र 27.6.2007 से रद्द

कर दिया गया है, एक अपील पहले ही 08.06.2006 को खारिज कर दी गई है और रिट याचिका लंबित थी।

7. जहां तक प्रासंगिक है, नियम 28(ए) इस प्रकार है:

"28(ए) - कर के भुगतान से छूट/स्थगन के लिए उद्योगों की श्रेणी, अवधि और अन्य शर्तें- (1) इस नियम के अंतर्गत आने वाले उद्योगों को नहीं शामिल किया जाएगा इन नियमों के किसी भी अन्य प्रावधान के तहत कर के भुगतान से किसी भी स्थगन या छूट का हकदार है।

(6) (ए) एक पात्र औद्योगिक इकाई जिसे पात्रता प्रमाण पत्र (बाद में आवेदक इकाई के रूप में संदर्भित) के साथ जारी किया गया है, इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर छूट या पात्रता प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए आवेदन करना होगा। फॉर्म एसटी 71 में उस जिले के उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त को भेजा जा सकता है, जहां उसकी इकाई स्थित है। आवेदन के साथ पात्रता प्रमाण पत्र और आवेदन में उल्लिखित अन्य दस्तावेजों की सत्यापित प्रति संलग्न की जाएगी।

समय के भीतर प्राप्त नहीं होने पर किसी भी आवेदन पर

विचार नहीं किया जाएगा। यदि आवेदक इस संबंध में उसे दिए गए अवसर पर इसे पूरा करने में विफल रहता है, तो उसके साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों सहित अपूर्ण या गलत विवरण वाला आवेदन नहीं किया गया माना जाएगा। आवेदन प्राप्त होने पर, उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त निम्नलिखित का लाभ चाहने वाली आवेदक इकाई से कहेंगे कि-

(i) वह या तो फॉर्म एसटी 74 में एक बंधक विलेख को निष्पादित करने के लिए वित्तीय संस्थानों/बैंकों के साथ एक समान प्रथम शुल्क बनाए। इकाई की संपत्ति, या एक वर्ष में प्राप्त किए जाने वाले कुल लाभ के 15% के लिए बैंक गारंटी, और 85% की शेष राशि के लिए फॉर्म एसटी 50 में एक जमानत बांड प्रस्तुत करना होगा। बंधक विलेख/समझौता या बैंक गारंटी कर की संपूर्ण स्थगित राशि की वसूली तक वैध रहेगी। बैंक गारंटी, यदि जल्दी समाप्त हो रही है या यदि प्रस्तुत की गई है, तो वार्षिक आधार पर समाप्ति की तारीख से दो महीने पहले नवीनीकृत की जाएगी, जिसमें विफल होने पर असुरक्षित आस्थगित कर तुरंत भुगतान के लिए देय हो जाएगा;

(ii) कर छूट, या तो एक वर्ष में उस राशि के लिए बैंक गारंटी के लिए छूट की मांग की गई अनुमानित बिक्री कर देयता की राशि के 15% के बराबर फॉर्म एसटी 50 में एक जमानत बांड निष्पादित करने के लिए, जो पांच वर्ष तक की अवधि के लिए वैध होगा, जो कर छूट की कुल अवधि की समाप्ति के बाद पांच वर्ष तक की अवधि के लिए वैध होगा;

(बी) उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त खुद को संतुष्ट करने के बाद कि आवेदक इकाई के पास वास्तविक और वैध पात्रता प्रमाण पत्र है, उसने पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की है और उसका आवेदन सही है, उसे छूट/पात्रता प्रमाण पत्र जारी करेगा जैसा भी मामला हो। आवेदन प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर। प्रमाणपत्र की एक प्रति उद्योग निदेशक या महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, जैसा भी मामला हो, को भेजी जाएगी और एक प्रति रिकॉर्ड में रखी जाएगी। जारी किया गया प्रमाणपत्र तब तक वैध रहेगा जब तक कि वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से या पात्रता/छूट प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से अगले 30 जून तक रद्द या वापस न ले लिया जाए या जब बिक्री कर दायित्व

पहली बार कर छूट की मात्रा से अधिक हो जाए। यूनिट के लिए स्थगन तय किया गया है, जो भी पहले हो।

ध्यान दें: समझौता या बंधक विलेख या बैंक गारंटी, जैसा भी मामला हो, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और संबंधित उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त द्वारा अपनी व्यक्तिगत हिरासत में फॉर्म एसटी 75 में बनाए जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। अपने कार्यालय के प्रभार के हस्तांतरण के समय, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त रजिस्टर के साथ-साथ दस्तावेजों को उचित रसीद के साथ अपने उत्तराधिकारी को व्यक्तिगत रूप से सौंप देंगे और इसकी एक प्रमाणित प्रति उत्पाद एवं कराधान आयुक्त को भेज देंगे। नाम से जो दोनों अधिकारियों को इसकी प्राप्ति की सूचना देगा।

(7) (ए) छूट प्रमाण पत्र या पात्रता प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो, नवीनीकृत किया जाएगा। वर्ष-दर-वर्ष जिसके लिए औद्योगिक इकाई 31 मई तक फॉर्म एसटी 71 में जिले के प्रभारी उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त को आवेदन करेगी। आवेदन के साथ छूट/पात्रता प्रमाण पत्र, उप में निर्दिष्ट अतिरिक्त सुरक्षा संलग्न की जाएगी। उप-नियम

(6) के खंड (ए) के खंड (i) और (ii) चालू वर्ष की घोषित अनुमानित बिक्री कर देयता के पंद्रह प्रतिशत के बराबर और वास्तविक और घोषित अनुमानित बिक्री कर देयता के बीच का अंतर बिक्री कर छूट के मामले में पिछला वर्ष और चालू वर्ष की अनुमानित कर देनदारी की सीमा के बराबर और कर स्थगन के मामले में पिछले वर्ष की वास्तविक और अनुमानित कर देनदारी के बीच का अंतर, साथ ही आवेदन में उल्लिखित अन्य दस्तावेज।

उप-उत्पाद एवं कराधान आयुक्त आवश्यक पूछताछ करने के बाद, और खुद को संतुष्ट करने के बाद कि आवेदक एक वास्तविक औद्योगिक इकाई है और उसने छूट/पात्रता प्रमाण पत्र का दुरुपयोग नहीं किया है, छूट/पात्रता प्रमाण पत्र बनने के 30 दिनों के भीतर नवीनीकरण करेगा। नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र, ऐसा न करने पर प्रमाणपत्र तब तक वैध रहेगा जब तक कि नवीनीकरण अस्वीकार न कर दिया जाए या प्रमाणपत्र अन्यथा समाप्त न हो जाए। नवीनीकरण पर छूट/पात्रता प्रमाण पत्र जब तक रद्द या वापस नहीं लिया जाता, उस वर्ष की पहली जुलाई से वैध होगा जिसमें आवेदन किया गया है, यदि यह समय पर है या अन्यथा

आवेदन की तारीख से अगले 30 जून तक या जब पात्रता प्रमाण पत्र समाप्त हो जाता है। या संचयी. अनुमानित बिक्री कर देनदारी सबसे पहले इकाई के लिए निर्धारित कर छूट/स्थगन की मात्रा, जो भी पहले हो, से अधिक हो।

(बी) यदि जिले के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त को पता चलता है कि छूट/पात्रता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन सही नहीं है या आवेदन में दिए गए विवरण सही नहीं हैं। सही और पूर्ण नहीं हैं या आवेदक एक वास्तविक औद्योगिक इकाई नहीं है या उसने छूट/पात्रता प्रमाण पत्र का दुरुपयोग किया है या निर्दिष्ट समय के भीतर उसके द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का अनुपालन किया है; वह आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

(सी) इस उप-नियम के खंड (बी) के तहत उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, हरियाणा को की जाएगी, यदि आदेश के संचार के तीस दिनों के भीतर अपील की जाती है।

(8) (ए) किसी औद्योगिक इकाई को दिया गया पात्रता

प्रमाण पत्र उपयुक्त स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उसके चालू रहने के दौरान किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थितियों में वापस लिया जा सकता है।

(i) यदि यह पता चलता है कि यह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है , छल, गलत बयानी, गलत बयानी या भौतिक तथ्यों को छिपाना;

(ii) आग, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं, दंगों, हड़ताल या तालाबंदी के मामले को छोड़कर, जो संबंधित समिति की राय में है, इकाई द्वारा अपना व्यवसाय बंद करना या छह महीने से अधिक की निरंतर अवधि के लिए अपना व्यवसाय बंद करना इकाई के नियंत्रण से परे है;

(iii) इकाई द्वारा अपनी अचल संपत्तियों में से किसी का निपटान या हस्तांतरण, जो उसके विनिर्माण या उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है:

बशर्ते कि पात्रता प्रमाण पत्र वापस लेने का कोई भी आदेश प्रभावित इकाई को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(बी) जब पात्रता प्रमाण पत्र वापस ले लिया जाता है, तो

छूट/पात्रता प्रमाण पत्र माना जाएगा। इसकी वैधता के पहले दिन से वापस ले लिया गया है और इकाई अधिनियम के तहत कर, ब्याज या जुर्माने के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी जैसे कि उसे कभी कोई पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया गया हो।

(9) किसी पात्र औद्योगिक इकाई को दिया गया छूट/पात्रता प्रमाण पत्र संबंधित उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त द्वारा इकाई को सुनवाई का अवसर देने के बाद निम्नलिखित परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है:-

(i) बंद करना इकाई द्वारा किसी भी समय छह महीने से अधिक की अवधि के लिए अपना व्यवसाय करना या छूट/स्थगन की अवधि के दौरान अपना व्यवसाय बंद करना।

(ii) उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग में सरकार के पास गिरवी रखी गई अपनी किसी भी अचल संपत्ति का इकाई द्वारा निपटान;

(iii) नियमों के तहत आवश्यक इकाई द्वारा पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में विफलता;

(iv) भुगतान की तिथि पर आस्थगित राशि का भुगतान

करने में इकाई की विफलता;

(v) इकाई द्वारा अधिनियम और/या नियम के किसी भी प्रावधान, या पात्रता प्रमाण पत्र या छूट/पात्रता प्रमाण पत्र की शर्तों का उल्लंघन;

(vi) जब उपयुक्त समिति, जो पात्रता प्रमाण पत्र को मंजूरी देती है, यह सिफारिश करती है कि इकाई का छूट/पात्रता प्रमाण पत्र लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से रद्द कर दिया जाए।

(10) (i) पात्र औद्योगिक इकाई अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित तरीके से रिटर्न दाखिल करने के लिए उत्तरदायी बनी रहेगी और ऐसा करने में उसकी विफलता पर उसे अधिनियम में दिए गए दंड के अधीन किया जाएगा;

(ii) छूट/पात्रता प्रमाण पत्र रखने वाली पात्र औद्योगिक इकाई का मूल्यांकन अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार जल्द से जल्द किया जाएगा और मूल्यांकन वर्ष के संबंध में तुरंत 31 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। उससे पहले और इस प्रकार निर्धारित अतिरिक्त मांग, यदि कोई हो, का भुगतान

अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा;

(iii) राज्य सरकार पूर्ववर्ती खंड में उल्लिखित इकाइयों के मूल्यांकन के लिए विशेष मूल्यांकन प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है;

(iv) रिटर्न के अनुसार देय कर के भुगतान से संबंधित प्रावधानों के बावजूद, पात्र औद्योगिक इकाई जिसने बिक्री कर स्थगन का लाभ उठाया है, उसे पांच साल की अवधि की समाप्ति के बाद स्थगित राशि का भुगतान करना होगा। नियमों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक तिमाही या महीने में आस्थगित राशि का:

(v) समाप्ति से पहले पात्रता प्रमाण पत्र या छूट/पात्रता प्रमाण पत्र रद्द करने पर, कर छूट की पूरी राशि/ आस्थगित राशि तुरंत, एकमुश्त देय हो जाएगी, और "कर, ब्याज की वसूली और जुर्माना लगाने से संबंधित प्रावधान ऐसे मामलों में लागू होंगे।

11 (ए) इस नियम के तहत कर-छूट / स्थगन का लाभ विषय होगा इस शर्त पर कि लाभार्थी/औद्योगिक इकाई लाभ

प्राप्त करने के बाद:-

(i) कम से कम अगले पांच वर्षों तक अपना उत्पादन जारी रखेगी, जो पिछले पांच वर्षों के औसत उत्पादन के स्तर से कम नहीं होगा; और

(ii) इसके द्वारा निर्मित माल के हस्तांतरण या खेप के माध्यम से पांच वर्ष आगे के लिए राज्य के बाहर बिक्री नहीं करेगा।

(बी) यदि इकाई खंड (ए) में निर्धारित किसी भी शर्त का उल्लंघन करती है, तो वह छूट/आस्थगित भुगतान की अवधि के दौरान प्राप्त कर लाभ की पूरी राशि में ब्याज प्रभार्य को जोड़ने के लिए उत्तरदायी होगी। अधिनियम के तहत मानो इसके लिए कोई कर छूट/स्थगन कभी उपलब्ध नहीं था: बशर्ते कि इस खंड के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि उत्पादन में हानि को संबंधित उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त की संतुष्टि के कारण समझाया गया हो। इकाई के नियंत्रण से परे कारण:

बशर्ते कि किसी इकाई को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना इस खंड के तहत किसी भी राशि का भुगतान करने

के लिए नहीं कहा जाएगा।

8. जैसा कि नियम 28ए की योजना से पता चलता है कि दो प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं। एक है पात्रता प्रमाणपत्र और दूसरा है छूट प्रमाणपत्र. खंड 4(ए) छूट या पात्रता प्रमाण पत्र रखने वाली पात्र औद्योगिक इकाई को कर छूट या स्थगन के लाभ से संबंधित है। खंड 2 (जे), (के) और (1) में प्रमाणपत्रों को परिभाषित किया गया है:

"(जे)" पात्रता प्रमाणपत्र" का अर्थ अनुदान के प्रयोजन के लिए एक पात्र औद्योगिक इकाई को उपयुक्त स्क्रीनिंग समिति द्वारा फॉर्म एसटी 72 में दिया गया प्रमाणपत्र है। छूट/स्थगन की।

"(के)" छूट प्रमाण पत्र" का अर्थ पात्रता प्रमाण पत्र रखने वाली पात्र औद्योगिक इकाई को जिले के उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त द्वारा फॉर्म एसटी 73 में दिया गया प्रमाण पत्र है जो इकाई को भुगतान से छूट का लाभ उठाने का अधिकार देता है। बिक्री या खरीद कर या दोनों, जैसा भी मामला हो;

"(I) "पात्रता प्रमाण पत्र" फॉर्म में दिया गया एक प्रमाण पत्र एसटी 72 जिले के उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र रखने वाली पात्र औद्योगिक इकाई को दिया जाता है जो उसे बिक्री कर में छूट प्राप्त करने का

अधिकार देता है;"

9. पात्रता प्रमाण पत्र उचित स्क्रीनिंग समिति द्वारा जारी किया जाता है जबकि छूट प्रमाण पत्र और पात्रता प्रमाणपत्र डीईटीसी द्वारा क्रमशः फॉर्म 73 और 72 में जारी किए जाते हैं। जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही कहा है, इस तथ्य के मद्देनजर स्वचालित रद्दीकरण की गुंजाइश है कि जनवरी, 1997 के बाद कोई उत्पादन नहीं हुआ था। उप नियम (8) से संबंधित है पात्रता प्रमाण पत्र की वापसी। उप-नियम 8 (बी) के तहत जब पात्रता प्रमाण पत्र वापस ले लिया जाता है, तो छूट/पात्रता प्रमाण पत्र को भी इसकी वैधता के पहले दिन से वापस ले लिया गया माना जाएगा और इकाई भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी। अधिनियम के तहत कर, ब्याज या जुर्माना जैसे कि इसके लिए कोई पात्रता प्रमाण पत्र कभी नहीं दिया गया था। एकमात्र अन्य प्रश्न जिसकी जांच की जानी आवश्यक है वह नियम 11 (ए) का लाभ है। इसे पढ़ने से पता चलता है कि पिछले पाँच वर्षों का उत्पादन नियम के तहत कर छूट/स्थगन का लाभ इस शर्त के अधीन होगा कि लाभार्थी/औद्योगिक इकाई सभी लाभ प्राप्त करने के बाद कम से कम अगले पांच वर्षों तक अपना उत्पादन जारी रखेगी, औसत से कम नहीं। उपनियम का खंड (बी) काफी महत्वपूर्ण है; इससे पता चलता है कि यदि इकाई खंड (ए) में निर्धारित किसी भी शर्त का उल्लंघन करती है तो वह छूट/आस्थगन की अवधि के दौरान प्राप्त लाभ की पूरी राशि के

अलावा ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। अधिनियम के तहत मानो इसके लिए कोई कर छूट/स्थगन कभी उपलब्ध ही नहीं था। प्रावधान भी महत्वपूर्ण है। यह प्रदान करता है कि खंड (बी) के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि उत्पादन में हानि को संबंधित डीईटीसी की संतुष्टि के लिए इकाई के नियंत्रण से परे कारणों के कारण समझाया गया है। इस प्रकार ऐसी कई स्थितियाँ हैं जो प्रासंगिक हैं; सबसे पहले, कम से कम अगले पांच वर्षों तक उत्पादन जारी रखने की आवश्यकता है; दूसरे, प्रश्नांश (ए) में निर्धारित शर्तें उल्लंघन की स्थिति में परिणाम सामने आते हैं। दूसरे शब्दों में, अगले पांच वर्षों तक उत्पादन जारी न रखने की स्थिति में, यह माना जाएगा कि इसके लिए कोई कर छूट/पात्रता उपलब्ध नहीं थी। प्रावधान डीलरों को डीईटीसी को संतोषजनक ढंग से समझाने की अनुमति देता है कि उत्पादन में हानि इकाई के नियंत्रण से परे कारणों से हुई थी। पार्टी की ओर से इस संबंध में सामग्रियां रखी जानी हैं। ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने नियम 11(बी) को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। किसी भी स्थिति में, हमने पाया कि उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को पात्रता प्रमाणपत्र रद्द करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष जाने की अनुमति दी थी। निर्विवाद रूप से ऐसा किया गया है, और रद्दीकरण के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है।

10. यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका

लंबित है। चूंकि मौजूदा मामले में प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को नियम 11 के प्रभाव की जांच किए बिना अनुमति दी गई है, इसलिए उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि नियम 11 के खंड (बी) के अनुसार यदि खंड (ए) में निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो यह माना जाएगा। छूट/पात्रता का कभी लाभ नहीं उठाया गया। इसलिए, उच्च न्यायालय का यह विचार उचित नहीं था कि मांग बरकरार नहीं रखी जा सकती। निष्कर्षों के मद्देनजर, 2005 की सिविल अपील संख्या 676 निराधार है और खारिज की जाती है, जबकि अन्य अपीलें स्वीकार की जाती हैं। 2005 की सिविल अपील संख्या 676 को खारिज कर दिया गया और सिविल अपील संख्या 5386/2002, 2008 की सिविल अपील संख्या 5149 को अनुमित दी गई।

2005 की सिविल अपील संख्या 676 खारिज और सिविल अपील क्रमांक 5386/2002, 2008 की एफ सिविल अपील संख्या 5149 की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मधुसूदन शर्मा (आर.एच.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

धन्यवाद।